यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऊधमसिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऊधमसिंह नगर** के माह 05/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जितेन्द्र सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.08.2017 से 11.08.2017 तथा24.08.2017 से 30.08.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा एवं श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2016 से 09.06.2016 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2014 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऊधमसिंह नगर** का मुख्य कार्यकलाप जनपद में संचालित बाल परियोजनाओं के संचालन में मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं उचित मार्गदर्शन।

(ब) **जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऊधमसिंह नगर** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड में स्थित है।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	0	0	0	0	4734.70	4643.87	---	90.83
2015-16	0	0	0	0	350.88	348.37	---	2.51
2016-17	0	0	0	0	597.42	588.03	---	9.39
2017-18 (Up to july 2017)	0	0	0	0	6.08	4.47	---	1.61

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
वन स्टॉप सेंटर	1941450	4869372	00	6810822
V.C.F.S.	100000	1790000	00	1890000

(iv) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत निदेशक आई.सी.डी.एस. देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास 2. अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास 3. निदेशक, आई.सी.डी.एस. उत्तराखण्ड, देहरादून 4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास 5. बाल विकास परियोजना अधिकारी 6. सुपर वाइजर 7. आँगनबाड़ी कार्यकत्री 8. आँगनबाड़ी सहायिका

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऊधमसिंह नगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऊधमसिंह नगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II (ब)

प्रस्तर 01 : असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन तथा धनावंटन के आभाव मे लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण न किया जाना रूपये 522.62 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2084/XVII (4)/2014/129/06TC दिनांक 05.11.2014 द्वारा उत्तराखण्ड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति को प्रोत्साहित करने एवं आई० सी० डी० एस० सेवाओं मे पूर्ण जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु वृद्ध महिलाओं (जिनहे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा हो) का सहयोग लिए जाने एवं वृद्ध महिलाओं के सम्बंध मे सकारात्मक पारस्परिक पद्दतियों के द्वारा स्वास्थ एवं पोषण स्तर को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर सम्यक विचारोप्रांत मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना (शत-प्रतिशत राज्य योजना) संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया था।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आगनबाड़ी केंद्र पर वृद्ध महिलाओं का समूह बनाया जाना था यह समूह आगनबाड़ी केन्द्रों मे दी जाने वाली सेवाओं मे सहयोग प्रदान करेगा। समूह के सदस्यों को आगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन (रविवार एवं अवकाश को छोड़कर) टेक होम राशन का प्राविधान किया गया था जिसके लिए प्रति सदस्य प्रतिमाह रुपए 150.00 का मानक निर्धारित था, (संशोधित मार्च 2015)।

जिला कार्यक्रम अधिकारी उधम सिंह नगर के लेखाभिलेखों के नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपद मे वित्तीय वर्ष 2016-17 मे कुल लाभार्थियों की संख्या 58483 थी जिसके लिए 150 रूपये प्रतिमाह की दर से वर्ष 2016-17 के लिए रूपये 1052.69 लाख की धनराशि की आवश्यकता थी (संख्या 58483 x 150 x 12= 10,52,69,400.00), परन्तु उक्त वर्ष मे मात्र रूपये 530.07 लाख (डीपीओ कार्यालय को रूपये 100.00 लाख, 10 सीडीपीओ कार्यालय को 259.79 लाख तथा मुख्यमंत्री आकस्मिकता निधि से रूपये 170.28 लाख) की धनराशि आवंटित हुई थी। मूल बजट से प्राप्त राशि रूपये 359.79 लाख के सापेक्ष मार्च 2017 तक कुल रूपये 348.54 लाख धनराशि का ही व्यय किया जा सका था। रूपये 11.25 लाख की धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि विभाग को वर्ष 2016-17 के लिए कुल रुपए 530.07 लाख धनराशि प्राप्त हुई थी तथा प्रत्येक माह औसतन 58483 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता था । पूरे वर्ष में 58483x 12=701796 लाभार्थियों को लगभग 07 माह लाभान्वित किया गया । वृद्ध महिला पोषण योजनाओं में यथा समय धनराशि प्राप्त न होने के कारण व्यवधान होता है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं यहा क्योकि विभाग द्वारा लाभार्थियों को लगभग 07 माह तक ही लाभान्वित किया गया जिससे शेष 05 माह तक वृद्ध महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। अतः
असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन तथा धनावंटन के आभाव मे लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण न किया जाना रूपये 522.62 लाख प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 02 : विभागीय उदासीनता के कारण 17000 लाभार्थियों को रूपये 2550 लाख का भुगतान लम्बित रहना तथा धनराशि रुपए 1.05 लाख के बॉण्ड/धनराशि को राजकोष में जमा न किया जाना।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अभियान योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हों चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित सन्तानें भी हों को दिया जाएगा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहता के रूप में रूपये 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के अन्दर 5000/- की धनराशि A/c Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष धनराशि रूपये 10,000/- एफ॰ डी॰ के माध्यम से बैंक में कन्या तथा उसके माता-पिता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खाते मे E-transfer के माध्यम से रूपये 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिए एफ॰ डी॰ करा डी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु यह शर्त भी थी कि यदि बालिका की अपरिहार्य कारणों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो यह धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास, उधम सिंह नगर के अवधि 05/2016 से 07/2017 अवधि की उक्त योजना के नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अन्तर्गत सम्प्रेक्षा अवधि जुलाई 2017 तक कुल प्राप्त 26155 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 9155 लाभार्थियों को ही उक्त योजना के अन्तर्गत रूपये 15000/- की दर से भुगतान किया गया, जबकि लेखा परीक्षा (अगस्त 2017) तक 17000 लाभार्थियों को रूपये 15000/- प्रति लाभार्थी की दर से रूपये 2550 लाख का भुगतान किया जाना लम्बित था।

आगे यह भी देखा गया कि इस योजना के अन्तर्गत जुलाई 2017 तक लाभान्वित बालिकाओं में से 29 की मृत्यु हुई तथा उनमें से केवल 19 बालिकाओं के बॉण्ड की धनराशि राजकोष में जमा की गयी, जबकि शेष 10 बालिकाओं की धनराशि रुपए 1.05 लाख के बॉण्ड/धनराशि विभाग द्वारा राजकोष में जमा न करके, योजना की शर्तों का उल्लंघन किया गया था ।

उक्त से स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता के कारण उक्त योजना को लागू न किए जाने से 17000 लाभार्थियों को सरकार की इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया, जिससे रुपए 2550 लाख का भुगतान बालिकाओं को किया जाना लम्बित था तथा 10 बालिकाओं की धनराशि रुपए 1.05 लाख के बॉण्ड/धनराशि राजकोष में जमा न करके कार्यालय में रखे हुये हैं।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि धनाबंटन प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। मृत हुई 10 बालिकाओं की धनराशि रुपए 1.05 लाख के बॉन्ड की धनराशि अभी राजकोष में जमा नहीं की गयी है।

विभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण 17000 लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा इसके अतिरिक्त धनराशि रुपए 1.05 लाख के बॉण्ड/धनराशि विभाग द्वारा राजकोष में जमा नहीं किए गए। अतः विभागीय उदासीनता के कारण 17000 लाभार्थियों को रूपये 2550 लाख का भुगतान लाबित रहने तथा 10 बालिकाओं की धनराशि रुपए 1.05 लाख के बॉण्ड/धनराशि विभाग द्वारा राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकरियों के संज्ञान में लाया जाता है

भाग II (ब)

प्रस्तर 03 : विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव मे काम काजी महिलाओं के आवासीय छात्रावास के निर्माण नहीं होने के कारण अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति अप्राप्त रहना।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक जनपद मे कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाने की घोषणा की गयी थी (घोषणा संख्या 92/2008 दिनांक 24.07.2008), उक्त के क्रम मे उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 210 /XVII (2) /2009 दिनांक 04.02.2009 द्वारा समस्त जनपद के जिलाधिकारियों से अपने अपने जनपदों मे कामकाजी महिलाओं की आवासीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए छात्रावास निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम मे जनपद उधम सिंह नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जुलाई 2010 मे 0.3380 हेक्टेयर भूमि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को हस्तगत करा दी गयी थी।

जनपद उधम सिंह नगर एक औद्दोगिक नगरी है यहाँ कामकाजी महिलाएं बहुतायात संख्या मे निवास करती हैं, कार्यालय ज़िला कार्यक्रम अधिकारी उधम सिंह नगर के कामकाजी महिला छात्रावास से संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि ज़िला कार्यालय के द्वारा सार्थक प्रयास के आभाव मे जनपद उधम सिंह नगर मे मुख्यमंत्री की घोषणा के 09 वर्ष बाद भी संप्रेक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण कार्य की न तो डीपीआर स्वीकृत हुई थी और न ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सका था, जोकि न केवल मुख्यमंत्री के घोषणा एवं शासनादेश की उपेक्षा थी अपितु कामकाजी महिलाओं को सुविधा प्रदान करने मे असफल होने के साथ विभाग अपने मूल उद्देश्यों को क्रियान्वित करने मे विफल रहा।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि प्रथम बार रुपए 1933.42 लाख का डीपीआर06/01/2015 एवं द्वितीय 08/2017 में रुपए 2220.50 लाख का डीपीआर निदेशक महोदय को भेजा गया है । धनराशि प्राप्त होने पर छात्रावास का निर्माण आगामी 02 वर्षों में पूर्ण किया जाना संभावित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ज़िला कार्यालय के द्वारा सार्थक प्रयास के आभाव मे जनपद उधम सिंह नगर मे मुख्यमंत्री की घोषणा के 09 वर्ष बाद भी संप्रेक्षा तिथि तक कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण कार्य की न तो डीपीआर स्वीकृत हुई थी और न ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सका था, जोकि न केवल मुख्यमंत्री के घोषणा एवं शासनादेश की उपेक्षा थी अपितु कामकाजी महिलाओं को सुविधा प्रदान करने मे असफल होने के साथ विभाग अपने मूल उद्देश्यों को क्रियान्वित करने मे विफल रहा तथा जबकि विभाग को 07 वर्ष पूर्व भूमि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को हस्तगत करा दी गयी थी। विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के आभाव में काम काजी महिलाओं को आवासीय छात्रावास के अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर-04 : विभागीय उदासीनता के कारण रूपये 58.50 लाख के की धनराशि के व्यय के पश्चात आगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा भवन विहीन आगंबाड़ी केन्द्रों के लिए पक्का भवन बनाए जाने के लिए राज्य सरकारों से कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया था (दिसंबर 2012) इस क्रम मे उत्तराखण्ड मे 1450 नए केन्द्रों का निर्माण व 113 केन्द्रों का उच्चीकारण हेतु राज्यान्श रुपए 1659.50 लाख व केंद्रान्श रुपए 4978.50 कुल रुपए 6638.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी, (उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या -282/XVII (4)/2015/2 (13) 2013 दिनांक 16.02.2015) इसी क्रम मे निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के पत्रांक:C-3615 दिनांक 23.02.2015 द्वारा जनपद उधम सिंह नगर हेतु 97 नए आगंबाड़ी केन्द्रो के निर्माण हेतु रुपए 4.50 लाख की दर से रुपए 436.50 लाख तथा 10 केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु रुपए एक लाख की दर से रुपए 10 लाख कुल रुपए 446.50 लाख की धनराशि तीन किस्तों में, (बृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत रुपए 122.50 लाख, 189.00 लाख एवं रुपए 135.00 लाख कुल रुपए 446.50 लाख का बजट आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ था) अवमुक्त हुई थी । उत्तराखण्ड शासन द्वारा आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण हेतु विकास खंड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी उधम सिंह नगर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की जनपद मे कुल 2191 केंद्र संचालित थे जिसमे मात्र 640 शासकीय भवन मे 1318 केंद्र किराए के भवन मे संचालित थे तथा 233 केन्द्रों को अन्य भवन के रूप मे दर्शाया गया था ।उक्त समस्त राशि मार्च 2015 मे कोशागार से आहरित कर संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी के खाते मे हस्तांतरित कर दिया गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या 02/2017 के अनुसार 90 आगनवाडी केन्द्रो का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था तथा 07 का निर्माण कार्य पूर्ण होना शेष था। परंतु अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि रुद्रपुर ब्लाक मे 15 केंद्र के सापेक्ष केवल एक केंद्र का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था 12 केंद्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ था तथा गदर पूर ब्लाक मे 01 केंद्र का निर्माण कार्य नहीं हुआ था इस प्रकार कुल 13 केन्द्रों का निर्माण कार्य नहीं हुआ था। इस संबंध मे यह भी पाया गया कि खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय दारा जिला कार्यक्रम अधिकारी को कोई भी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रेषित नहीं किया गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी से भौतिक प्रगति आख्या प्राप्त किया जाता है जबकि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्राप्त किया जाना चाहिए जिससे कार्य की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो, जो नहीं किया जा रहा था। जनपद मे 1318 आगनवाडी केंद्र (60.15%) किराये के भवन मे संचालित हो रहे थी इसके बाद भी 13 आगनवाडी केन्द्र का निर्माण कार्य नहीं किया गया था जबकि उक्त के सापेक्ष 58.50 लाख की धनराशि मार्च 2015 मे निर्गत कर दिया गया था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि जनपद के 07 भवनों का निर्माण पूरा नहीं हो प रहा है। जिन केन्द्रों का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पर केन्द्र किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं ।जनपद में कुल 1452 आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनो में संचालित हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा 15 माह से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि का कोई उपयोग नहीं किया गया तथा आगंबाड़ी केन्द्रों के निर्माण मे हो रहे विलम्ब के कारण सरकार को अनावश्यक रूप से 1318 केन्द्र किराए के भवन में संचालित कराये जाने से अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ रहा था। जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष रूप हानि हो रही थी। उक्त से स्पष्ट है कि विभाग की उदासीनता के कारण रू॰ 58.50 लाख की धनराशि का अनुपयोगी रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है

<u>भाग II (ब)</u>

प्रस्तर-05 : 2.63 लाख के अर्जित ब्याज एवं की धनराशि को शासन को प्रेषित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं॰ 99/ xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनराशि को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी मद में ब्याज की धनराशि को व्यय किया जाना हो तो वित्त विभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास ऊधम सिंह नगर के योजनाओं के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग को आबंटित धनराशि पर बेंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2016-17 से 2017-18 (जुलाई 2017 तक) की अवधि में प्राप्त ब्याज की राशि को 0049 में जमा न करने या धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से नहीं किए जाने से ब्याज की धनराशि रू॰ 2,62,782/- लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र॰ सं॰	**योजना का नाम**	**ब्याज की धनराशि**
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, ऊधम सिंह नगर	2,01,097.00
2	जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऊधम सिंह नगर में केन्द्र पोषित योजनायें	61,685.00
कुल योग		**2,62,782.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक में ब्याज की धनराशि प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा विभाग द्वारा ब्याज की धनराशि को शासन को वापस नहीं किया जा रहा था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि विभाग द्वारा उक्त धनराशि को तत्काल जमा करा दिया जायेगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि विभाग द्वारा एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी विभाग द्वारा शासन को धनराशि वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनराशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका विकास कार्यों पर उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः विभाग द्वारा रू॰ 2.63 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
98/2007-08	01	1,2	---
54/2012-13	--	1,2	---
49/2014-15	--	1,2	01
24/2016-17	--	1,2,3,4	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
98/2007-08	01 1,2	भाग-II(अ) एवं भाग-II(ब)	यथावत	
54/2012-13	1,2	भाग-II(ब)	यथावत	
49/2014-15	1	भाग-II(ब)	यथावत	
24/2016-17	1,2,3,4	भाग-II(ब)	यथावत	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऊधमसिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	अखिलेश कुमार मिश्रा	जिला कार्यक्रम अधिकारी (प्रभारी)	11/2015

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऊधमसिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र